उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 , उदयपुर

गोवर्धन विलास अहमदाबाद रोड़ , उदयपुर (राज0)

दुग्ध संघ द्वारा स्थापित बीएमसी से डेयरी संयंत्र तक इन्सुलेटेड टेंकर द्वारा दुग्ध परिवहन हेतु ई– निविदा

(निविदा सूचना क्रमांक 3501 दिनांक 03.02.2026)

तकनीकी निविदा प्रपत्र

भाग – "अ"

1. निविदा प्रपत्र संख्या : ....
2. निविदा सन्दर्भ : 25 / 2025–26
3. निविदा विषय : ताप–प्रतिरोधक (इन्सुलेटेड) वाहन (टेंकर) द्वारा दुग्ध परिवहन मार्गो पर स्थित बीएमसी दुग्ध समितियो सें उदयपुर डेयरी संयत्र तक प्रतिदिन दूध परिवहन के अनुबंध कार्य की आपूर्ति हेतू।
4. निविदा अवधि : एक वर्ष
5. ई–निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की दिनांक : दिनांक 09.02.2026 सांय 5.00 बजे सें (From govt site:http://eproc.rajasthan.gov.in)
6. ई–निविदा प्रपत्र अपलोडोडिंग की अन्तिम दिनांक व समय : दिनांक 05.03.2026 अपरान्ह 4.00 बजे तक
7. ई–निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि और ई– निविदा प्रोसिसिंग शुल्क के मूल डिमांड ड्राफ, प्रपत्र पीएण्डआई अनुभाग में जमा कराने की दिनाक व समय : दिनांक 06.03.2026 अपरान्ह 1.00 बजे तक
8. तकनीकि ई–निविदा प्रपत्र भाग अ खोलने की दिनांक व समय : दिनांक 09.03.2026 प्रातः 11:30 बजे
9. प्री. बिड मिटिंग की दिनांक एवं समय : दिनांक 16.02.2026 अपरान्ह 1:00 बजे से 3:00 बजे तक
10. वित्तीय ई–निविदा प्रपत्र भाग ब खोलने की दिनांक व समय : बाद में सूचित किया जावेगा।
11. निविदा प्रपत्र शुल्क : रू. 1180 / –(1000+18%GST) (DD in favour of Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd, Udaipur)
12. अमानत राशि शुल्क : रूपया 100000 / – (DD in favour of Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd, Udaipur)
13. ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क : रूपया 2000 / – (DD in favour of MD, RISL Jaipur)
14. क्या आपका कोई भी रिश्तेदार दुग्ध संघ में कार्यरत है, अगर हां तों उनका नाम एवं निविदादाता सें .... सम्बन्ध उल्लेखीत करें– ....
15. क्या आप या आपका कोई भी रिश्तेदार दुग्ध समिति के सचिव / कर्मचारी प्रबन्धकार्यकारीणी के सदस्य है। यदि .... हां तो समिति का नाम एवं पद का उल्लेख करे ....
16. निविदा दाता द्वारा भरी जाने वाली दरें : कृपया निविदा प्रपत्र भाग "ब " (BOQ) में अंकिंत करे
17. निविदादाता का नाम एवं पता : ....
    ....
    फोन न. / मोबाईल न. ....
18. निविदा खोलने का स्थान : उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 , उदयपुर गोवर्धन विलास अहमदाबाद रोड़ , उदयपुर (राज0)

नोट – 1. निविदा सूचना में विवरण अनुसार तीनो मूल डिमान्ड ड्राफ (ई–निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि और ई– निविदा प्रोसिसिंग शुल्क) सम्बन्धित कार्यालय के पीएण्डआई अनुभाग मे उपस्थित होकर जमा कर रसीद प्राप्त करें। डिमान्ड ड्राफ्ट. स्वंय के बैंक खाते से बना हुआ होना आवश्यक है।
2. उक्त निविदा 15 बीएमसी मार्गो के लिये हैं।
3. निविदादाता दुग्ध संघ में दुग्ध परिवहन कार्य करने हेतु केवल एक टेंकर हेतु निविदा भर सकता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LIMITED
GOVERDHAN VILAS, AHMEDABAD ROAD, UDAIPUR

PART A

Technical & Pre Qualification Bid

E-Tender for Milk Transportation from BMC Installed by Udaipur Dairy at DCS to Dairy Plant Udaipur.

(Tender Notice No. : 3501 Dated 03.02.2026)

1. Name and full postal address --
   of firm submitting the application --
   Form (Block letters) --
   Phone No. ------------------------------ Mobile No. ------------------------------
2. Nature of Firm :- Proprietor/Partnership/Company/Others (Specify)
3. To be filled by the tenderer himself :-

(i) Tender form fee :Rs.______________________________vide
D.D.No.______________________________
Name of Bank______________________________
Dated______________________________

(ii) Earnest Money Details : :Rs.______________________________vide
D.D.No.______________________________
Name of Bank______________________________
Dated______________________________

(iii) E-tender processing fee : :Rs.______________________________vide
D.D.No.______________________________
Name of Bank______________________________
Dated______________________________

Note :- Physical deposition of all three demand drafts (for tender form fee, E-tender processing fee and earnest money) should be submitted manually in the office of Tendering Authority before 1:00 PM of 06.03.2026 as specified in tender notice.

Signature of Tenderer

- **भाग अ के साथ निम्न कागजात की स्वहस्ताक्षरित प्रति अपलोड करे।**

1. फर्म का पंजीयन प्रमाण प्रत्र/पार्टनरशीपडीड ।
2. टेंकर का विवरण, रजिस्ट्रेशन संख्या (रजिस्ट्रेशन, ईन्श्योरेन्स, परमीट, फिटनेस आदि)।
3. विगत दो वर्षो की आयकर विवरणी।
4. पेन न. की छाया प्रति।
5. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर आवश्यक है।
6. सहकारी डेयरी उघोग मे दुग्ध संघ क्षेत्र की बीएमसी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से RAW MILK का दुग्ध संयंत्र तक दुग्ध परिवहन कार्य टेंकर से करने का 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण प्रत्र आवश्यक है व ब्लेक लिस्टेड नही होना चाहिये ।
7. खाघ संरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSAI Act 2006) के तहत रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति। अगर निविदा भरते वक्त रजिस्ट्रेशन उपलब्ध नही है तो निविदा कार्य मिलने पर निर्धारित अवधि में उपलब्ध करवाना आवश्यक होगा।
8. अडंरटेकिंग एण्ड डिक्लेरियेशन ANNEX - C - 1,2,3,4,5
9. निविदा प्रपत्र शुल्क (ई–निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि और ई– निविदा प्रोसिसिंग शुल्क) की डी डी की स्केन प्रति ।
10. पता प्रमाणित हेतु कोई भी एक राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, विद्युत बिल, आधारकार्ड इत्यादि।
11. निविदादाता द्वारा जो वाहन दुग्ध संघ में अनुबन्ध हेतु लगाया जाता है वह वाहन किसी अन्य दुग्ध संघ में अनुबन्धित नहीं होना चाहिये। इस बाबत निविदादाता को रू. 100/– के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
    वाहन संख्या :– .... आर.सी. प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें ।
12. वाहन सम्बन्धी सूचना Annexure-6 में भरकर Upload करें।

- **निविदादाता द्वारा निविदा दर मय समस्त टैक्स सहित निर्धारित प्रपत्र भाग ब के BOQ मे भरी जावे।**

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LIMITED
GOVERDHAN VILAS, AHMEDABAD ROAD, UDAIPUR

Instructions for uploading E-tender form & documents:-

1. **Submission of E-Tender Form & Document**: (Only through Online procedure)

Please read carefully the steps of submitting Tender form Online & also you have to follow instruction of e-procurement site for filling E-tender form. E-Tender form should be uploaded separately in two parts, viz. **PART A & PART B (unpriced & priced)**.

PART A : Before Uploading **UNPRICED TENDER**, it should be ensured that all the Technical & Commercial details including conditions of contract & relevant documents etc. **(duly digitally/physicaly signed by tenderer)** & Scan copy of Tender form fee, Earnest Money & E-tender processing fees **(DD/payorder)** are ready for uploading.

If scan copy of documents metioned page no. 3 (Clearly visible) are not uploaded with Part-A of Tender form, Part-B of that tenderer will not be opened/considered for finalization of the tender work. In addition to it please ensure

1. **Submission of Demand Draft**
   a) **Scan copy of Demand Draft for Tender form fee, Earnest Money & E-tender processing fee.**
   b) **Physical deposition of all three demand drafts before 1 PM of 06.03.2026 as specified in tender notice.**

PART B : **PRICED TENDER fill** with **Schedule of Rates duly filled** (only in prescribed format BOQ in .xls format)**, digitally signed on that page**.

(a) Interested party/bidder/tenderer can download tender form from official website *http://eproc.rajasthan.gov.in*

(b) Tenderer who wish to participate in this tender will have to register on *http://eproc.rajasthan.gov.in* To participate in online tenders, tenderer will have to procure digital signature certificate (type III) as per information technology Act-2000 using which they can sign their electronic tender documents. Tenderer can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, safecrypt, Ncode etc. or they may contact e-procurement cell, Department of IT &C, Government of Rajasthan for further assistance. Tenderer who have a valid digital certificate need not procure a new digital certificate.
Address:- e-procurement Cell, RISL, Yozana Bhawan, Tilak Nagar, C-Scheme, Jaipur

(c) Tenderer shall submit their offer on line in electronic formats both for technical and financial proposal however Demand Draft for tender form fee, E-tender processing fee and earnest money should be submitted manually in the office of Tendering Authority (Udaipur Dairy, Goverdhan Vilas, Ahmedabad Road, Udaipur) before date & time of opening of technical bids as mentioned in tender notice. Scanned copy of Demand Draft should be uploaded along with online bid.

(d) Tender form & handwritten rates would not be accepted in Tender Box.

(e) The quoted rate should be filling (on the basis of rupees per km) in prescribed format of PART B of tender form (.xls BOQ) only.

Signature of Tenderer

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 , उदयपुर

गोवर्धन विलास अहमदाबाद रोड़ , उदयपुर (राज0)

निविदा प्रपत्र भरने के लिए सामान्य अनुदेश, शर्ते एवं आवश्यक निर्देश

(1) निविदा प्रपत्र दो भागो में भाग (अ) तकनीकी निविदा एवं भाग (ब) वित्तीय निविदा के रूप में विभाजित है।

(2) उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., उदयपुर तकनिकी व वित्तीय दृष्टी से सक्षम एवं सुदृढ भारतीय नागरिक व्यक्तियों/एचयूएफ/फर्म/कम्पनियों से निविदा सुचना में वर्णित कार्य के लिये निविदा आमंत्रित करता हैं।

(3) पूर्ण भरे हुए निविदा प्रपत्र के हर पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। भागीदारी के केस में किसी भी एक भागीदार द्वारा, जिसके हक में मुख्त्यारनामा (पॉवर ऑफ अटोर्नी) होगा, हस्ताक्षरित किया जावेगा। साथ में भागीदारी सम्बन्धी वैध दस्तावेज संलग्न किये जाने होगें। पंजीकृत कम्पनी/ समस्त भागीदारों को अनापत्ति प्रमाण प्रत्र सलग्न करना आवश्यक होगा व अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कों निविदा प्रपत्र भरने का अधिकार प्रत्र मूल ही सलग्न करना होगा। उक्त दस्तावेजों की अनुपलब्धता होने पर निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिये जावेंगें।

(4) प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होने पर यह मान लिया जावेगा कि निविदादाता द्वारा नियम एवं शर्ते पढकर समझ लिये गये है। निविदादाता द्वारा नियम एवं शर्तो में कोई बदलाव नही किया जावेगा। यदि निविदादाता द्वारा किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो निविदा निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।

(5) किसी भी निविदादाता द्वारा एक बार निविदा फार्म अपलोड किये जाने के पश्चात् उसे निविदा फार्म शुल्क एवं ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क किसी भी स्थिति में संघ द्वारा वापस नहीं लौटाया जायेगा।

(6) निविदादाता अयोग्य, ब्लैक लिस्टेड, अव्यस्क एवं न्यायालय से दिवालिया घोषित नही होना चाहिये।

(7) निविदा प्रपत्र पर नाम पता व सम्पर्क व्यक्ति का नाम, फोन न. स्पष्ट रूप सें अकिंत होने चाहिए । उक्त व्यक्ति को भेजी गई डाक प्राप्त कर ली गई मान ली जावेगी चाहे वह निविदादाता को प्राप्त हो या न हो।

(8) दर प्रति किलोमीटर प्रति 9000 किलो दूध परिवहन क्षमता के आधार पर अंको एवं शब्दों में BOQ में अंकित की जावें । किसी प्रकार की शंका होने पर शब्दो में लिखी गई दर अन्तिम मानी जावेगी।

(9) निविदा प्रपत्र में अकिंत वाहन के स्वामित्व सम्बन्धित दस्तावेज (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रोड परमिट एवं फिटनेस सर्टिफिकेट की छाया प्रति) निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किये जाने होंगें। अभाव में निविदा निरस्त की जा सकती है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

(10) निविदादाता द्वारा निविदा प्रस्तुत के साथ **उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. उदयपुर** के हक में रू. 100000/–(अक्षरे एक लाख मात्र) डिमान्ड ड्राप्ट धरोहर राशि के रूप में सलग्न करना होगा। **चैक स्वीकार नही किये जायेंगें।** धरोहर राशि के अभाव में निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिया जावेगा। पूर्व में जमा धरोहर राशि स्वीकार नही की जावेगी। दुग्ध संघ द्वारा धरोहर राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

(11) निविदा नोटिस में दिये गये निर्धारित दिनांक एवं समय पर उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि, उदयपुर के कार्यालय में खोली जावेगी। निविदा खोलते समय निविदादाता को निविदाकक्ष में उपस्थित रहने की अनुमति है।

(12) एक या एक सें अधिक निविदाओं को निविदादाताओं की न्युनतम दर पर चलने की सहमति सें आवश्यकतानुसार स्वीकार करनें एवं कार्य आदेश दिये जाने के समस्त अधिकार प्रबन्ध संचालक उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि, उदयपुर के पास सुरक्षित रहेंगें, समस्त या किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार करने के समस्त अधिकार प्रबन्ध संचालक के पास सुरक्षित रहेंगें। किसी भी निविदादाता को इस सम्बन्ध में कारण पूछनें का अधिकार नही होंगा।

(13) निविदा स्वीकारोक्ती हेतु खोली जाने की दिनांक से 3 माह हेतु खुली रहेगी।

(14) निविदादाता निविदा के समय उसके किसी भी व्यक्ति या फर्म को होने वाली किसी भी क्षति के लिये दुग्ध संघ को जिम्मेदार नही ठहरा सकेंगा। उक्त समस्त क्षति पूर्ति की जिम्मेदारी निविदादाता की स्वंय की रहेगी।

(15) निविदा खोली जाने के पश्चात निविदा भरी जाने में होने वाली लापरवाही के कारण निविदा पुनः उठाने का अधिकार निविदादाता को नही होगा।

(16) जिन निविदादाताओ की निविदाये अस्वीकृत होती है उसकी धरोहर राशि निविदा खोलने के तीन माह के भीतर लौटा दी जावेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।

(17) स्वीकृत निविदादाता को निर्धारित प्रपत्र में रू. 1000/– के स्टाम्प पर अनुबन्ध प्रतिपादित करना होगा । जिसमें होने वाला खर्च निविदा दाता कों वहन करना होगा।

(18) यह माना जावेगा कि स्वीकृत ठेकेदार द्वारा निविदा के नियम एवं शर्तो की पूर्ण जानकारी कर ली है। किसी भी प्रकार की शंका होने पर अनुबन्ध हस्ताक्षर करने के पहले प्रबन्ध संचालक अथवा प्रभारी अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना वान्छनीय है।

(19) स्वीकृत निविदादाता द्वारा निविदा अनुबन्ध हस्ताक्षर में निर्धारित सीमा सें देरी करने अथवा मना करने पर उसकी अमानत राशि/धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

(20) धरोहर राशि के लिये डिमान्ड ड्राफ्ट : निविदा फार्म के साथ संघ कार्यालय में रूपये 100000/- (अक्षरेः- एक लाख रूपये मात्र) की डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न करनी होगी एवं निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को रूपये 500000/- (अक्षरेः- पांच लाख रूपये मात्र) की बैंक गारण्टी 30 माह के लिये संघ में जमा करानी होगी तथा अमानत राशि रू. 100000/- (अक्षरेः- एक लाख रूपये मात्र) डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा कराने होंगे इस प्रकार कुल अमानत राशि 700000/-(अक्षरेः- सात लाख रूपये मात्र) होगी।

(21) निविदा अवधि सामान्यतया कार्य आदेश दिये जाने से **एक वर्ष** के लिए मान्य होगी ततपश्चात यदि निविदाकर्ता का कार्य सन्तोषप्रद पाया जाता है तो आपसी सहमति के पश्चात् पुनः उन्ही नियम एवं शर्तो पर अनुबन्ध एक वर्ष की अवधि के लिए अभिवृद्धि की जा सकेगा। साथ ही संघ द्वारा सामयिक परिस्थितियो के मद्देनजर संघ हित में कोई अतिरिक्त शर्त जोडी जाती है तो उसे अनुबन्धक को स्वीकार करना होगा। निविदा अवधि के पश्चात अनुबन्ध उन्ही नियम एवं शर्तो पर तीन माह के लिए बढाया जा सकेगा । जिसके लिए निविदादाता को मना करने का अधिकार नही होगा। अनुबन्ध अवधि के दौरान यदि अनुबन्धकर्ता का कार्य असन्तोषप्रद पाया जाता है या निर्धारित वाहन उपलब्ध नही कराया जाता है या संघ विरोधी किसी भी गतिविधि के होने पर प्रबन्ध संचालक के पास अनुबन्ध निरस्त करने के पूर्ण अधिकार रहेगा।

(22) निविदादाता को निविदा के साथ अथवा अनुबन्ध के समय अपने पिछले दो वर्षो के आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि उपलब्ध करानी होगी।

(23) निविदादाता निर्धारित कार्य किसी अन्य व्यक्ति या एंजेंन्सी को अपने स्वंय के स्तर पर हस्तान्तरित नही कर सकेगा। यह कि स्वीकृत अनुबन्ध किसी कारणवश यदि अनुबन्ध को हस्तान्तरण करना चाहता है ऐसा वह तभी कर सकेगा जब अपने कार्यकाल का अबकाया प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने एवं प्रबन्ध संचालक की स्वीकृति उपरांत अनुबन्धक द्वारा हस्तान्तरण शुल्क रू. 100000/- (एक लाख) संघ कार्यालय में जमा कर दिया गया हो।

(24) परिवहन ठेकेदार को अनुबन्ध सबलेट किये जाने की अनुमति नही होगी। ऐसा पाये जाने की स्थिति में अनुबन्ध निरस्त कर समस्त जमा राशि जब्त की जावेगी।

(25) निविदा अवधि में निर्धारित कार्य को सफल रूप सें निष्पादित करने हेतु आवश्यक सचरित्र, व्यक्तियों को कार्य पर लगाने निविदादाता की जिम्मेदारी रहेगी। मजदूरों अथवा अन्य हडताल के दौरान पूर्ण व्यवस्था करना भी निविदादाता की जिम्मेदारी रहेगी। दुग्ध संघ के कर्मचारियों की हडताल, यदि कभी होतो, के दौरान ठेकेदार के व्यक्ति काम करना बन्द नही कर सकेगें।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

(26) निविदादाता फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार कार्य करेगें एवं कार्य के लिए लगाए गये स्टाफ की कर्मचारी राज्य बीमा एवं भविष्य निधि राशि भुगतान करेंगें व इसकी सत्यापित प्रतिलिपि दुग्ध संघ में प्रस्तुत करेंगें। यदि ठेकेदार उक्त राशि जमा कराने के सबूत पेश नही करता है तो दुग्ध संघ उक्त आवश्यक राशि ठेकेदार के बिल से कटौती कर सम्बन्धित प्राधिकारी विभाग को जमा करावेगा।

(27) किसी भी प्रकार के नियमों एवं शर्तो की अवहेलना की जाने पर निविदा निरस्त करने के पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. उदयपुर के पास सुरक्षित होंगें। ऐसी स्थिति में ठेकेदार के कारण होने वाली नियमो की अवहेलना के कारण होने वाली समस्त हानि की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। प्रबन्ध संचालक को निविदा की शेष अवधि हेतु पुनः निविदा करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं इस कार्य का दर अन्तर (यदि अधिक हो तो) सम्बन्धित ठेकेदार से वसूल किया जावेगा।

(28) निविदादाता दुग्ध संघ के किसी भी उदयपुर दुग्ध संघ कर्मचारी का प्रथम डिग्री रिश्तेदार नही होना चाहिये।(प्रथम डिग्री से तात्पर्य है कि कर्मचारी के पिता,माता,भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी सें है)।

(29) निविदादाता उदयपुर दुग्ध संघ की किसी भी दुग्ध समिति का सचिव अथवा अन्य कर्मचारी या प्रबन्धकार्यकारीणि का सदस्य अथवा सचिव का प्रथम डिग्री रिश्तेदार नही होना चाहिये। (प्रथम डिग्री से तात्पर्य है कि कर्मचारी के पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, सें है)।

(30) किसी भी प्रकार के वाद विवाद की कानूनी कार्यवाही हेतू प्रथम अपिलिय अधिकारी अध्यक्ष उदयपुर दुग्ध संघ व द्वितीय अपिलिय अधिकारी प्रबन्ध संचालक महोदय आर.सी.डी.एफ जयपुर अधिकृत रहेंगे।

(31) निविदा प्राप्त करने या इसके क्रियान्वयन हेतु दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी /कर्मचारी को किसी भी प्रकार की रिश्वत /कमीशन/उपहार यदि निविदादाता द्वारा दिया जाता है तो यह अपराध की श्रेणी में माना जावेगा एवं निविदा निरस्त कर दी जावेगी व उत्पन्न देने वाले समस्त नुकसान की भरपाई सम्बन्धित ठेकेदार से बिल/धरोहर राशि सें की जावेगी।

(32) यदि निविदा दर अप्रत्याशित अधिक हो तो प्रबन्ध संचालक नेगोशियेशन का अधिकार सुरक्षित रखेंगें।

(33) अनुबन्ध के अन्तर्गत किसी किसी भी प्रकार की शर्त जोडने, घटाने अथवा पृथक करने के सर्वाधिकार प्रबन्ध संचालक के पास सुरक्षित रहेंगें। जिन्हे मानना निविदादाता की बाध्यता होगी।

(34) उक्त निविदा 15 बीएमसी मार्गो के लिये है । जिसमें प्रत्येक मार्ग हेतु 9000 किलोग्राम टेंकर क्षमता की आवश्यकता है। इस प्रकार कुल 15 टेंकर की आवश्यकता है। 9 टन क्षमता के वाहन की दरें मांगी गई हैं। अतः वित्तिय निविदा में (बैरल क्षमता) पर दर प्रति किलोमिटर दर्शानी होगी। 9000 किलोग्राम तक दुग्ध परिवहन करने पर निविदा में स्वीकृत दर के आधार पर ही भुगतान देय होगा। 9000 किलोग्राम से अधिक दुग्ध परिवहन करने पर मार्ग की अंतिम बीमएसमी समिति से संघ डेयरी डॉक तक की दूरी का प्रोरेटा दर से भुगतान किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

(35) उक्त निविदा 15 मार्गो हेतु है। जिसका विवरण निविदा प्रपत्र के पेज स. 18 से 21. पर उपलब्ध है। निविदा रोटेशन दुग्ध परिवहन पद्धति पर आमत्रित की जा रही है अतः निविदा में भाग लेने वाले निविदाकर्ता के टैंकरो रोटेशन के अनुसार किसी भी दुग्ध मार्ग पर चलाया जा सकता है। रोटेशन पद्धति प्रतिदिन/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक की जा सकती है। जिसका निर्धारण संघ स्तर पर प्रबंध संचालक महोदय के निर्देशानुसार किया जायेगा।

(36) 15 बीएमसी मार्ग पर 15 टेंकर हेतु एक L1 निविदादाता होगा व दूसरा निविदादाता L2 से वार्ता की जा सकेगी। बशर्त L1 की दर पर परिवहन कार्य हेतु सहमत हो।

(37) निविदादाता द्वारा उक्त निविदा भरते समय यदि दुग्ध संघ में किसी भी प्रकार की कोई बाकीयात हे तो वो तकनीकी भाग खुलने के एक दिन पहले तक सारी बाकीयात दुग्ध संघ में जमा करा देंवे। अन्यथा वह निविदा में भाग नही ले सकेगा।

मैनें उपरोक्त क्रम 1 सें 37 तक के सभी निर्देश अच्छी तरह पढ लिये है एवं उसी अनुरूप मेंरे द्वारा निविदा प्रपत्र भरा गया है। यदि किसी प्रकार की कमी पाई जाती है। तो मैं स्वंय जिम्मेदार रहूंगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 , उदयपुर

गोवर्धन विलास अहमदाबाद रोड़ , उदयपुर (राज0)

दुग्ध परिवहन ठेके सम्बन्धी विशेष नियम एवं शर्तें

(1) निविदादाता को दुग्ध संघ द्वारा स्थापित **बीएमसी** दुग्ध मार्ग सें उदयपुर दुग्ध संघ सयंत्र तक दुग्ध इन्सुलेटेड टेंकर सें परिवहन करना होगा।

(2) ठेकेदार को किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा के समय यदि आवश्यक हो तो परिवर्तित मार्ग से भी गन्तवय स्थान पर दुग्ध पहुचाना होगा। जिसकी वास्तविक दूरी का भुगतान प्रमाणीकरण पश्चात स्वीकृति पर ही किया जा सकेगा अन्य किसी भी तरह का भुगतान नही किया जा सकेगा।

(3) ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराया गया वाहन पूर्ण रूप सें सही स्थिति में होना चाहिये एवं राजस्थान परिवहन विभाग सें भार वाहन कार्य के लिए पंजीकृत होना चाहिये । वाहन का **मॉडल जनवरी 2021** से पुराना नही होना चाहिए। वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र (RC) निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है ।

(4) ठेकेदार को पूर्ण रूप सें इन्सुलेटेड एवं निर्मित वाहन उपलब्ध कराना होगा ताकि परिवहन के दौरान दुग्ध का तापक्रम 1^0C से अधिक न बढ पावे। टेंकर (बेरल) स्टेनलेस स्टील (S.S.) का होना चाहिये । बीएमसी दुग्ध समिति से दुग्ध उठाते समय दुग्ध के तापक्रम का विशेष ध्यान रखे। दुग्ध संघ मुख्यालय पर प्राप्त दुग्ध का तापक्रम 6^0C से ज्यादा नही होना चाहिए। अन्यथा 6 डिग्रीसेन्टिग्रेड से अधिक आने पर 1000 रूपये प्रति डिग्रीसेन्टिग्रेड के हिसाब से शास्ती लगाई जायेगी।

(5) ठेकेदार को वाहन को दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध/बताये गये तरीके सें पैन्ट कराना होगा।

(6) यदि किसी दौरान ठेकेदार द्वारा बिना इन्सुलेशन का वाहन उपलब्ध कराया गया तों संघ द्वारा ठेकेदार के उस माह के परिवहन बिल सें 40% राशि कटौती कर ली जावेगी। साथ ही दुग्ध की गुणवत्ता खराब (खट्टा/फट्टा) होने पर नियमानुसार कटौति की जानी हैं।

(7) ठेकेदार को उसके कर्मचारियो/नौकरो को पहचान पत्र उपलब्ध कराने आवश्यक होंगें।

(8) निविदादाता कों दुग्ध संघ की शर्तो के अनुसार निर्धारित समय सारणी के आधार पर वाहन उपलब्ध कराना होगा एवं उक्त समय सारणी के अनुसार दुग्ध परिवहन करना होगा । यदि दुग्ध संकलन में अत्यधिक बढोतरी होती है तो ठेकेदार को प्रबन्ध संचालक अथवा कार्यालय प्रभारी के निर्देशो के आधार पर वाहन की अतिरिक्त पारी की व्यवस्था करनी होगी।

(9) वाहन निर्धारित कार्य हेतु उपलब्ध करवाने से पूर्व वाहन का निरीक्षण दुग्ध संघ के अधिकृत व्यक्ति को कराना होगा एवं जब भी कभी किसी कारण सें वाहन बदला जाता है तो दुग्ध संघ की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(10) उपरोक्त किसी भी शर्तो की अवहेलना करने पर ठेका संघ प्रबन्धन द्वारा बिना किसी चेतावनी के समाप्त कर दिया जावेगा। जिसके लिए ठेकेदार का किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नही किया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

(11) निर्धारित कार्यावधि में कार्य पूर्ण नही करने अथवा लापरवाही बरतने पर प्रबन्ध संचालक को पूर्ण अधिकार होगा कि वे किसी अन्य व्यक्ति /फर्म सें निर्धारित कार्य करा लेवे। इस सें दुग्ध संघ को होने वाली किसी भी प्रकार की होने वाली हानि, अधिक खर्च के लिए सम्बन्धित निविदादाता जिम्मेदार रहेगा। ऐसी परिस्थतियों के अन्दर प्रबन्ध संचालक को अधिकार होगा कि वे उक्त निविदा को निरस्त कर सकतें है।

(12) टेंकर को प्रतिदिन अन्दर एवं बाहर से भली प्रकार धुलवानें की पूरी जिम्मेदारी टेंकर ठेकेदार की होगी। यदि परिवहन ठेकेदार के टैंकर का बैरल गन्दा पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस पर शास्ती रू. 500/— आरोपित की जावेगी।

(13) यदि निर्देशित कार्यावधि के दौरान किसी भी समय वाहन निर्धारित मापदंडो के अनुरूप नही पाया जाता है तो ठेका निरस्त किया जा सकेगा। इससे दुग्ध संघ को होने वाली हानि की भरपाई ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

(14) ठेकेदार को वाहन बीएमसी दुग्ध मार्ग हेतु दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध कराई गई समय सारणी के अनुसार ही चलाना होगा। यदि वाहन निर्धारित समय सें देरी सें आता है तो इससे दुग्ध संघ/समितियों को होने वाली हर प्रकार की हानि के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा एवं हानि की भरपाई उसी माह के परिवहन बिल/धरोहर राशि/बैंक गारण्टी सें कर ली जावेगी। इसके साथ ही समय सें देरी से आने पर निम्न अनुसार शास्ती भी लगाई जा सकेगी —

- निर्धारित समय से 30 मिनट तक देरी से आने पर कोई शास्ति नही लगाई जावेगी ।
- 30 मिनट से अधिक देरी से आने पर रू. 1000/— प्रति आधा घण्टा की शास्ति लगाई जावेगी।
- विशेष परिस्थिति में प्रबन्ध संचालक महोदय स्वीकृति पश्चात् छूट दी जा सकेगी।

(15) ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराया गया टेंकर ब्रेक डाउन/दुर्घटनाग्रस्त होने पर ठेकेदार को अन्य वैकल्पिक व्यवस्था स्वंय के खर्चे पर करना होगा। ठेकेदार यदि किसी भी दिन दुग्ध परिवहन समयानुसार करने में असमर्थ रहता है तो संघ दुग्ध परिवहन की व्यवस्था ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर करेगा एवं रू. 5000/— प्रति दिन की शास्ती भी ठेकेदार पर आरोपित की जा सकेगी जिसकी वसूली ठेकेदार के बिल/अमानत राशि/बैंक गारण्टी से वसूल की जायेगी।

(16) दुग्ध समितियों पर स्थापित बल्क मिल्क कुलर से दुग्ध टेंकर में लोडिंग करने हेतु आवश्यक श्रमिक टेंकर ठेकेदार नियोजित करेगा, जिसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा नियुक्त टेंकर डाईवर/हेल्पर की दुध चोरी/मिलावट की शिकायत या समितियों से प्राप्त दुध की गुणवत्ता/मात्रा की कमी की शिकायत प्राप्त होने पर शास्ती आरोपित की जा सकेगी व दोषी व्यक्ति को टेंकर से हटाना होगा व संघ परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी जायेगी एवं अनुबंध भी निरस्त किया जा सकेगा। जिसके लिये प्रबन्ध संचालक महोदय उदयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 उदयपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

(17) ठेकेदार को अपने बिल प्रति माह की 5 तारीख तक संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में मार्ग प्रभारी/जोन प्रभारी को प्रस्तुत करने होंगें। भुगतान प्रति पारी किलोमीटर के प्रमाणीकरण के पश्चात ही देय होगा। विलम्ब सें बिल प्रस्तुत करने पर रू. 100/– प्रतिदिन तक (अक्षरे सौ रू. मात्र) सम्बन्धित माह के दुग्ध परिवहन बिल सें वसूल जा सकेगी । जिसके लिए ठेकेदार स्वंय जिम्मेदार रहेगा। बिल के साथ सम्बन्धित मार्ग की **बीएमसी** समितियों से बकाया नही होने का प्रमाण पत्र सलग्न करना होगा। बिल का प्रारूप स्टोर पीएण्डआई से प्राप्त किया जा सकेगा। असामान्य परिस्थिति में भुगतान में देरी होने पर बकाया भुगतान पर कोई ब्याज देय नही होगा। साथ ही ठेकेदार को बिल के एवज में कोई अग्रीम राशि नही दी जायेगी।

(18) यदि टैंकर ठेकेदार से वसूल की जाने वाली राशि एक लाख रू से अधिक शेष रहती है जो कि बिल की अवधि के पश्चात 05 दिवस में जमा करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा रू 10000/– की शास्ती सहित अनुबंधक को जमा करवानी होगी शास्ती राशि जमा करवाने की अनुमति प्रबन्ध संचालक महोदय से लेनी होगी व ठेकेदार समय पर बकाया राशि जमा नही करता है तो उसका अनुबन्ध तुरन्त समाप्त कर दिया जा सकेगा

(19) हर मासिक बिल के साथ बकाया बैलेन्स अगले बिल प्रस्तुत करने से पूर्व शून्य करना होगा ।

(20) ठेकेदार के बिलो सें इनकम टैक्स/अन्य वैधानिक करो की कटौती समय–समय पर नियमानुसार दुग्ध संघ द्वारा कर ली जावेगी।

(21) भुगतान रेखांकित चैक द्वारा मासिक आधार पर किया जावेगा।

(22) समिति/संघ द्वारा ठेकेदार के डाइवर/खलासी को जो भी डाक, पत्रादी/दुध संबधी चालान ट्रकशीट व अन्य सामग्री दी जावेगी वो उसे सुरक्षित समिति/संघ को देनी होगी। प्रपत्रों को खोने अथवा कांटछांट करने पर अथवा दुर्भावना पुर्ण अन्य कार्यवाही करने पर एवं समिति स्टोर से सामान परिवहन न करने पर राशि 500/– तक जुर्माना किया जा सकेगा एवं हानि की पुर्ति उसके बिल से की जावेगी। वाहन ठेकेदारो को अपने वाहन में निर्देषानुसार समस्त समितियों /केन्द्रो पर टिके, एसिड, एल्कोहल, वेटकाल, डाक, बिल, मिनरल मिक्सचर, घी अन्य सामान जिस दिन जारी किया जाता है उस दिन माल जैसा हो वैसा ही पहुंचाना होगा एवं दुसरे दिन संबंधित समितियो/केन्द्रो की प्राप्ती रसीद संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। घी परिवहन हेतु 1 रू. प्रति लीटर/क्रि.ग्रा. एवं नमक बीज एवं मिनरल मिक्सचर हेतु 20 पैसा प्रति किलोग्राम से सम्बन्धित दुग्ध समिति से भुगतान देय होगा।

(23) कार्य आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर ठेकेदार को कार्य आरम्म करना आवश्यक होगा।

(24) दुग्ध संघ के कर्मचारियों की किसी प्रकार की हडताल के बावजूद भी ठेकेदार को अपना कार्य विधिवत जारी रखना आवश्यक होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

(25) दुग्ध परिवहन ठेकेदार के किसी टेंकर से दुग्ध परिवहन के समय दुग्ध की चौरी करते हुए, कमी अथवा बिखराव, रिकॉर्ड/ट्रकशीट में हेरा–फेरी कांट–छाट, दुग्ध में किसी तरह की मिलावट करते हुए या अन्य किसी तरह की भ्रष्ट कार्यवाही/आचरण करते हुए पाये जाने पर दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध में हुई हानि को वसूल किया जावेगा तथा इसके अलावा दुग्ध हानि के 10 गुना तक शास्ति आरोपित की जा सकती है तथा एफ.आई.आर. दर्ज कराई जा सकेगी एवं दुग्ध संघ द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जाकर परिवहनकर्ता ठेकेदार को काली सूची (Black List) मे दर्ज किया जा सकता हैं। परिवहन कर्ता ठेकेदार की बकाया राशि, धरोहर राशि, बैंक गारण्टी आदि सें दुग्ध संघ की हानि एवं शास्ति वसुली की जावेगी ।

(26) प्रबन्ध संचालक की अनुमति के बिना दुग्ध परिवहन का कार्य ठेकेदार द्वारा किसी भी परिस्थिति में रोका नही जावेगा।

(27) वाहन के खराब होने पर अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने पर ठेकेदार दुग्ध परिवहन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु बाध्य रहेगा । दुघर्टना की स्थिति में दुग्ध के नुकसान हेतु भी वह जिम्मेदार रहेगा। ऐंसी स्थिति में किसी अन्य वाहन सें सम्बन्धित मार्ग सें दुग्ध परिवहन करने पर कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा । इस सम्बन्ध में की जाने वाली कटौती हेतु प्रबन्ध संचालक का निर्णय अन्तिम होंगा। फिर भी आवश्यकता पडने पर अन्य वाहन लगाने के इस तरह की आकस्मिक व्यवस्था प्रबन्ध संचालक की स्वीकृति पश्चात की जा सकेगी जो कि किसी अस्थायी समय के लिए ही होगी एवं नीतिगत रूप सें लगातार नही रखी जा सकेगी।

(28) निविदादाता के पास टेंकर के परिवहन अधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, परमिट एवं इंश्योरेन्स ईत्यादी की स्वयं के हस्ताक्षरशुदा छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी एवं अनुबंध स्वीकृत होने व कार्यादेश दिये जाने से पुर्व मूल दस्तावेज से सत्यापन करवाना होगा। ठेकेदार को राजस्थान मोटर अधिनियम, परिवहन नियमो एवं वाहन संचालन संबधित समस्त नियमो की पालना करनी होगी एवं समस्त आवश्यक दस्तावेज टेंकर के साथ रखना होगा। किसी भी विभाग द्वारा उल्लंघन/ दस्तावेजो के अभाव में शास्ती/जब्ती के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा संघ की जिम्मेदारी नहीं होगी। संयत्र में वाहन से किसी भी कारण होने वाली समस्त हानि ठेकेदार से वसूल कि जावेगी एवं प्रबंध संचालक के निर्णय अनुसार शास्ती भी लगाई जा सकेगी।

(29) सफल निविदादाता को संघ के कर्मचारी/अधिकारी/समिति प्रतिनिधि को टेंकर के साथ लाना ले जाना होगा। संघ से सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी/समिति प्रतिनिधी के अतिरिक्त चालक हेल्पर के अलावा कोई बाहरी सवारी/व्यक्ति पाये जाने पर रू. 500/– तक शास्ती आरोपित की जा सकेगी।

(30) प्रबन्ध संचालक अथवा उसके द्वारा अन्य अधिकृत अधिकारी को किसी भी समय दुग्ध मार्ग पर वाहन के निरीक्षण का अधिकार रहेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

(31) अनुबंधक स्वय या उनके द्वारा परिवहन हेतु लगाये जाने वाले ड्राईवर व टैस्टर को परिचय पत्र लगाना अनिवार्य होगा। तथा बदलने पर सक्षम अधिकारी को लिखीत सुचना देनी होगी अनाअधिकृत व्यक्ति को संघ परिसर मे प्रवेश नही होगा यदि पाया गया तो 2000 (दो हजार रूपये मात्र) की शास्ती लगाई जायेगी।

(32) टैंकर अनुबंधक द्वारा बी.एम.सी समिती से दुध उठाते ही ट्रॅकशीट मे फैट व एस.एन.एफ व दुध की मात्रा का इन्द्रॉज करना अनिवार्य होगा। रास्ते मे डेयरी अधिकारियो द्वारा निरीक्षण के समय ट्रॅकशीट अधूरी पाये जाने पर रू 10000/– (रू0 दस हजार मात्र) की शास्ती लगाई जायेगी ।

(33) वाहन में आवश्यक ईधन/लुब्रिकेंट व अन्य सामान जो कि वाहन के कुशल संचालन के लिए आवश्यक है का खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा। वाहन का माईलोमीटर मार्ग पर रहने के समय चालू स्थिति में होना चाहिए।

(34) ठेकेदार को बीएमसी समितियों से प्राप्त किये गये दुग्ध की दैनिक रिपोर्ट लाकर दुग्ध संघ को उपलब्ध करानी होगी। बीएमसी समितियो द्वारा भेजे गये दुग्ध की मात्रा एवं गुणवता दुग्ध संघ में पहुचाए गये दुग्ध सें मिलान होनी आवश्यक होगी। यदि दुग्ध की मात्रा एवं गुणवता में किसी प्रकार की हानि होती है तो, दुग्ध संघ द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, ठेकेदार को वहन करनी होगी। साथ ही रू. 1000/– तक की शास्ति भी आरोपित की जा सकेगी।

(35) ठेकेदार/ ठेकेदार प्रतिनिधि को संघ द्वारा स्थापित बल्क मिल्क कूलर समितियों पर सचिव/समिति प्रतिनिधि की उपस्थिति में प्राप्त दुग्ध की मात्रा (किलो में), फैट प्रतिशत, एस.एन.एफ. प्रतिशत एवं दुग्ध गुणवता के सम्बन्धित टेस्टिंग करवानी होगी। उक्त टेस्टिंग के सम्बन्धित ब्युटेरोमीटर, लेक्टोमीटर, थर्मामीटर इत्यादि टेस्टिंग सम्बन्धि उपकरण संघ द्वारा केलीब्रेट कर ठेकेदार को प्राप्त करने हेांगें। जिसका उल्लेख संघ द्वारा दिये गये प्रपत्र में दर्शानी होगी। जिस पर सचिव/ समिति प्रतिनिधि एवं टेंकर ठेकेदार/ठेकेदार प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होंगे। बीएमसी का जनरल सेम्पल संघ मे उपलब्ध कराना होगा। अर्थात सभी बीएमसी से जनरल सेम्पल निर्धारित बोतलों में सील्ड बोक्स में दुग्ध संघ की प्रयोगशला में जांच हेतु लाने होंगे। संघ स्तर पर टेंकर का सेम्पल लिया जाकर उसकी जांच की जावेगी। परिवहन ठेकेदार को फ्लशिंग की अनुमति नहीं होगी एवं जीरो फ्लशिंग पर दुध लाना होगा एवं दुध की मात्रा में यदि हानि होती हे तो उसकी पुर्ण कटोती संघ में लागु क्रय दर मय सभी योजनाओं के दर से की जायेगी। संघ से दी जा रही ट्रकशीट को पुर्ण भर कर लानी होगी। बीएमसी समितियों से सघं मे भेजे गये दुध की टेंकर की टेस्टींग तथा बीएमसी की कुल टेस्टींग मे किलो फेट/किलो एसएनएफ की हानि की कटोती की गणना दैनिक आधार पर की जावेगी एवं आरसीडीएफ के आदेश क्रमांक 32963–97 दिनांक 19.09.2022 की अनुपालना में रोजाना आने वाले बीएमसी टेंकरों में किलो फेट/एसएनएफ की हानि में 0.25% किलो फेट एवं 0.25 प्रतिशत किलो एसएनएफ कम करने के पश्चात हानि की गणना संघ में लागु क्रय दरों से कर, समस्त हानि की कटोती की जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

(36) ठेकेदार को नियोजित किये गये वाहन पर संघ के निर्देशानुसार सरस दूध उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. उदयपुर व निर्धारित मोनोग्राम लिखवाना होगा एवं अनुबन्ध समाप्ति पर वाहन पर से संघ का नाम व सरस से सम्बन्धित समस्त मोनोग्राम हटाने होगे। तत्पश्चात् की अंतिम भुगतान एवं जमा अमानत राशि लौटाने हेतु अदेय प्रमाण–पत्र जारी किया जा सकेगा।

(37) अनुबन्ध की अवधि समाप्ति पर वाहन ठेकेदार को समस्त समितियों /केन्द्रो अनुभागो से बकाया नही प्रमाण प्रत्र प्रस्तुत करने होगें। इसके बाद ही अन्तिम बिल भुगतान की कार्यवाही की जावेगी एंव सिक्यूरीटी राशि अनुबन्ध पश्चात विभाग द्वारा लौटाई जा सकेगी । तीन माह में बकाया नही प्रमाण प्रत्र कार्यालय मे प्रस्तुत करने में असफल रहने पर अंतिम भुगतान बिल व धरोहर राशि देय नही होगी । यदि ऐसा ठेकेदार की लापरवाही से होता है।

(38) संस्था के हितो को मद्देनजर रखते हुए यदि आवश्यक हुआ तों ठेका प्रबन्ध संचालक के निर्णय अनुसार किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा एवं इससे ठेकेदार को होने वाली हानि की भरपाई दुग्ध संघ द्वारा नही कि जावेगी।

(39) डीजल/सीएनजी की दरों में रू. 1 या इससे अधिक की वृद्धि/कमी होने पर संघ द्वारा समय–समय पर किलोमीटर दर सें अनुपातिक परिवर्तन किये जावेगें। सामान्यतः टेंकर वाहन जिसकी दुग्ध परिवहन क्षमता लगभग 9000 क्रि.ग्रा.. के लिए 7/9 किलोमीटर प्रति लीटर डिजल/सीएनजी खपत मानी जावेगी।

(40) किसी प्रकार का टोल टेक्स देय नही होगा।

(41) टेण्डर अवधि में यदि राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा कोई कर लगाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी टेंकर ठेकेदार की होगी।

(42) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा लागू अगर सर्विस टेक्स लगता है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

(43) ठेकेदार को रू. 100/– संघ सदस्यता शुल्क जमा करा कर नोमिनल सदस्यता ग्रहण करनी होगी।

(44) समस्त विवादो का न्याय क्षैत्र उदयपुर होगा।

(45) पार्ट "अ" सक्षमता/ योग्यता के परख के उपरान्त सफल एवं योग्य पाये जाने पर ही पार्ट "ब" को खोला जावेगा। पार्ट "अ" में असफल पाये जाने वाले निविदादाता को अयोग्य मानते हुए उनका निविदा प्रपत्र पार्ट "ब" नही खोला जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

(46) ठेकेदार कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये सक्षम एवं निपुण व्यक्तियों को ही नियोजित करेगा। नियोजित व्यक्ति की सुचना टेकेदार द्वारा संघ को उपलब्ध करानी होगी। अपराधिक प्रवृति/संघ द्वारा प्रतिबंधित अथवा शारिरीक रूप से अयोग्य/अवयस्क व्यक्तियों को ठेकेदार नियुक्त नहीं कर सकेगा। टेंकर पर कार्यरत वाहन चालक/हेल्पर आदि के फोटो युक्त पहचान पत्र ठेकेदार द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करने होंगे। नियोजित व्यक्ति शारिरीक रूप से स्वस्थ होना चाहीये एवं उसका रजिर्स्टड चिकित्सक से स्वस्थ एवं संक्रामक रोग मुक्त होने का प्रमाण पत्र संघ में उपलब्ध कराना होगा। स्वच्छता के सामान्य नियमो का पुर्णतः पालन करना होगा। दुग्ध परिवहन कार्य मे अनियमितता पाये जाने पर वाहन पर कार्यरत व्यक्तियों को तुरन्त हटाना होगा।

(47) आम हड़ताल, रोड़ जाम होना, रोड़ पर दुर्घटना होने पर रास्ता बंद होने आदि की स्थिति में भी ठेकेदार एवं स्टाफ को दुध समय पर संयंत्र मे लाना होगा। कार्य मे बाधा उत्पन्न करना दंडनीय होगा व कार्य को सुचारू रूप से करने के लिये स्वयं को सम्पुर्ण व्यवस्था करनी होगी। परिवहन ठेकेदार एवं उसके स्टाफ द्वारा किसी भी शिकायत/समस्या को लेकर कार्य बाधित किये जाने की अनुमति नही होगी। ऐसा पाये जाने पर कानुनी कार्यवाही करते हुए शास्ती भी आरोपित की जायेगी तथा अनुबंध भी समाप्त किया जा सकेगा। परिवहन ठेकेदार संघ द्वारा निष्कासित व्यक्तियों को वाहन पर नहीं रखेगा।

(48) ठेकेदार अनुबन्ध अवधि में ठेका छोड़कर नहीं जा सकता है यदि अनुबन्ध अवधि में ठेकेदार बीच में कार्य छोड़कर जाता है तो उसकी समस्त जमांऐं अर्थात अमानत राशि, सिक्योरिटी राशि, बैंक गारन्टी जब्त कर, उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। इसके बावजूद भी संघ की कोई बकाया रहती है तो उसकी चल–अचल सम्पत्ति से वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

(49) निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSAI Act 2006) के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदत पंजीकृत प्रमाण प्रत्र निर्धारित अवधि में कार्यआदेश पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(50) प्रत्येक बी.एम.सी.से दुध प्रतिदिन या प्रबन्ध संचालक महोदय/समकक्ष अधिकारी के निर्देशानुसार लाना होगा। यदि ठेकेदार अपनी स्वेच्छा से दुग्ध एक दिन छोड कर दूसरे दिन लाता है, तो प्रतिदिन 1000.00 रुपये की शास्ती लगाई जा सकेगी व दूध खराब होने पर हानि की वसूली की जा सकेगी।

(51) परिवहन ठेकेदार को बीएमसी समिति पर दुध को जांच परख कर स्वीकार करना होगा। संघ स्तर पर दुध खट्टा प्राप्त होता हे तो एसी स्थिति मे दुध खट्टा होने पर प्रचलित दुध बिक्रि (आरएमजी) की दर पर 75% राशि एवं दुध दही होने पर पुरी कीमत ठेकेदार से वसुल की जायेगी। खट्टा/दही ठेकेदार को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। समिति पर बीएमसी में दुध खटटा/दही होने की स्थिति में यदि ठेकेदार दुध स्वीकार नही करता हे तो एसी स्थिति मे उसे लिखित में संघ को सुचित करना होगा।

(52) बीएमसी में खाली एवं भरे टेंकर के वजन के समय किसी भी प्रकार की अनियमितता पाया जाने की स्थिती में शास्ति रू. 5000/– आरोपित की जा सकेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

(53) ठेका अवधि में ठेका शर्तो में आवश्यक होने पर नई शर्त जोडी जा सकती है। जिसे अनुबन्धक को स्वीकार करना होगा।

(54) अपराधिक प्रवृति वाला व्यक्ति निविदा मे भाग नही ले सकेगा । यदि लेता है और बाद मे भी पता लगता है तो उसकी निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

(55) दुग्ध संघ निर्देशानुसार बीएमसी समितियों से डाटा आनलाईन भिजवाया जाने हेतु टेंकर ठेकेदार को भी वाहन मे लगे स्टाफ को स्मार्ट फोन/एंड्राईड मोबाईल अपने स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराना होगा ।

(56) दुग्ध संघ निर्देशानुसार टेंकर ठेकेदार को सभी बीएमसी समिति से दुध का सेम्पल अलग से लाना होगा । सेम्पल नही लाने पर रू. 200/— प्रति समिति की शास्ति लगाई जायेगी ।

(57) निविदादाता को निधारित क्षमता के इन्सुलेटेड टेंकर से उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. उदयपुर द्वारा विभिन्न दुग्ध मार्गो पर स्थापित किये गये बीएमसी से समय सारणी अनुसार दुग्ध टेंकर उदयपुर डेयरी संयंत्र तक दुग्ध परिवहन कार्य करना होगा। जिसमें प्रबन्धन द्वारा समय समय पर दुग्ध मार्ग/मार्गो का बदलाव किया जा सकेगा/सकता है। जिसके लिए निविदादाता/ठेकेदार बाध्य रहेगा। परिवहन ठेकेदार द्वारा किसी निश्चित मार्ग पर दुग्ध परिवहन नही कर रोटेशन पद्धति से संघ के निर्देशानुसार विभिन्न मार्गो से दूध परिवहन करना होगा। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर शास्ति लगाना अथवा अनुबंध निरस्त करना ब्लेकलिस्ट करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक महोदय को रहेगा।

(58) वाहन ठेकेदार द्वारा बिना पुर्व अनुमति के अगर अन्य टेकर बीएमसी मार्ग पर लगाता है तो उस पर रू. 1000/— प्रतिदिन के हिसाब से कटोती की जावेगी। टेंकर खराब होने पर उसका प्रमाण पत्र संघ में प्रस्तुत करना होगा। ठेकेदार द्वारा अनुबन्धित वाहन अन्य संघ में लगता है तो न्यूनतम रूपये 10,000/— की शास्ति लगाई जायेगी एवं अनुबन्ध भी निरस्त किया जा सकेगा।

(59) सेम्पल बाक्स के टुट जाने पर इसकी राशि 3000/— रूपये प्रति बाक्स की ठेकेदार से कटोती की जा सकेगी। यदि जानबुझकर सेम्पल बाक्स तोड़ा जाना पाया गया तो परिवहन ठेकेदार पर 2000/— रूपये की शास्ती आरोपित की जावेगी।

(60) संयंत्र में स्थित धर्म कांटे पर प्रत्येक दिन भरा एवं खाली टेंकर का वजन कराना होगा। टेंकर के अनलोड होने के 30 मिनट पश्चात तक यदि खाली टेंकर का वजन नहीं करवाया जाता है तो 100 रूपये प्रति घण्टे की दर से शास्ती आरोपित की जायेगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की स्थिति मे दुध कम होने पर दुध की राशि वसुल की जायेगी एवं शास्ती आरोपित की जा सकेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

(61) अनुबंध अवधि में ठेकेदार की मृत्यु होने पर अनुबंध समाप्त माना जायेगा। संघ द्वारा नवीन व्यवस्था संघ के हर्जे खर्जे पर की जावेगी।

(62) बीएमसी समिति से दुध लेकर आने वाले टेंकर में यदि टेंकर के केबिन मे बदनियत से पानी से भरे हुए जरिकेन, गाड़ी की कमानी/पत्ते और बाह्य पदार्थ पाये जाने पर न्युनतम रूपये 5000/– की शास्ती आरोपित कि जायेगी।

(63) टैंकर चालक/परिवहन ठेकेदार का प्रतिनिधी लेब में टेस्टींग करवाने जावेगा तो केल्कुलेटर और मोबाईल साथ में लेकर नही जावेगा। सामान्य टेस्टिंग के पश्चात् रि–टेस्टिंग केवल एक बार ही की जावेगी। टैंकर चालक/वाहन प्रतिनिधी लैब में रूट की टेस्टिंग के समय निर्धारित स्क्रीन पर टेस्टिंग देख सकेगा। डॉक पर टैंकर लगाने के पश्चात् डॉक/लेब/संयंत्र क्षैत्र में मोबाईल का प्रयोग वर्जित होगा। इसका उल्लघंन करने पर शास्ति आरोपित की जा सकेगी।

(64) वाहन ठेकेदार के मासिक बिल से एस.एन.एफ/फैट प्रतिशत एवं दुग्ध घटोतरी की हानि की असामान्य कटौति (बिल राशि से अधिक की कटौति) होने पर प्रभारी कृषक संगठन की अनुशंषानुसार एक माह की अवधि के लिये निलम्बित (सस्पेन्ड) किया जा सकेगा तथा निरन्तर ऐसा पाये जाने पर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। जिसके लिये प्रबन्ध संचालक महोदय उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., उदयपुर का निर्णय अंतिम एवं अनुबन्धकर्ता को मान्य होगा।

(65) परिवहन ठेकेदार को स्वंय के खर्च पर जी.पी.आर.एस. स्थापित करवाना होगा एवं उपकरणों की सुरक्षा की जिम्मेदारी परिवहन ठेकेदार की होगी। जीपीआरएस सिस्टम दुग्ध परिवहन के समय चालु होना आवश्यक हैं। चालु नही होने की स्थिति में अनियमितता मानी जायेगी एवं नियमानुसार कार्यवाही कर रू. 1000/– शास्ति आरोपित की जा सकेगी।

(66) वाहन के नम्बर वाहन की टंकी पर भी दोनो तरफ लिखे होने चाहिये।

(67) परिहवन टेंकर द्वारा लाया गया दूध निम्न गुणवत्ता का होने पर उसके विरूद्ध आरसीडीएफ द्वारा जारी की गई एसओपी 3221–46 दिनांक 22.04.2025 के अनुसार उचित कार्यवाही की जावेगी।

(68) निविदादाता दुग्ध संघ में दुग्ध परिवहन कार्य करने हेतु केवल एक टेंकर हेतु निविदा भर सकता है।

मेरे द्वारा क्र.स. 1 सें 68 तक विशेष नियम एवं शर्ते पढने के पश्चात निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये गये है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

बीएमसी मार्गो की सूची।

क.सं.	खेरोदा बीएमसी दुग्ध मार्ग
1	रतनपुरा
2	भमेला–बी
3	भुणा तालाब
4	कडेचा
5	चारगदिया
6	खेडली
7	अमरपुरा
8	खेरोदा
9	मनोहरपुरा
10	नयाघर

क.सं.	झाडौल बीएमसी दुग्ध मार्ग
1	कंथारिया
2	ढिमडी
3	गोगला
4	ब्राहमणों का खेरवाडा
5	गुजरो का गुडा
6	नयाखेडा
7	काछबा
8	गोगुन्दा

क.सं.	जयसमंद बीएमसी दुग्ध मार्ग
1	पिलादर
2	खेराडा
3	बरोडा
4	गुड
5	भावावतवाडा
6	डाल नामचोत
7	डाल
8	अदकालिया
9	बस्सी सामचोत
10	विरपुरा
11	कंतोडा
12	अमरपुरा

क.सं.	भीण्डर बीएमसी दुग्ध मार्ग
1	कच्छेर
2	रावतपुरा
3	बोरिया
4	आम्बागुडा
5	गऊ तलाई
6	वसुआ भागल
7	लौदा
8	पानी कोटडा
9	सबलावत
10	कडूणी
11	ब्राहमणों का तालाब

क.सं.	गोगुन्दा बीमएसी मार्ग
1	रावलियाखुर्द
2	ब्राहमणों की भागल
3	नान्देशमा
4	शोभावास
5	मन्नाजी का गुडा
6	नारो का गुडा
7	सेमड
8	ब्राहमणों का कलवाना

क.सं.	कुंथवास बीएमसी मार्ग
1	कुण्डई
2	जलिया बावडी
3	नीमडी
4	गाडरियावास भागल
5	भोपाखेडा
6	हमेरपुरा
7	नया हिन्ता
8	हिन्ता
9	वरणी
10	बडगांव
11	नान्दोली
12	मेनार

क.सं.	झल्लारा बीएमसी दुग्ध मार्ग
1	खोलडी
2	बरबडी
3	बडी विरवा
4	जैताना
5	गरडा
6	कल्याणा
7	झल्लारा
8	देवगांव
9	केरावदिया
10	हर
11	करावली

क.सं.	मजावडा बीमएसी दुग्ध मार्ग
1	नारायणपुरा
2	डांगीखेडा
3	वाना
4	बरोडिया
5	खडोदा
6	इंटाली
7	कीकावास
8	तारावट
9	खोखरवास
10	रेहटा तालाब
11	मंदेरिया
12	गाडरियावास

क.सं.	नन्दीवेला बीएमसी दुग्ध मार्ग
1	कोट
2	चरमर
3	भीनमाल
4	गुडली
5	आंजना
6	धोलीखेडा
7	लग
8	आवरा
9	केडिया
10	फिला
11	सोमाखेडा
12	धमकाचोडा
13	नन्दीवेला
14	बोरी

क.सं.	वली बीमएसी दुग्ध मार्ग
1	खेडी
2	कराकली
3	उथरदा
4	सेमाल
5	जावद
6	गुडा
7	अजबरा
8	रोबा
9	भागलवाला
10	वली
11	नाड
12	सेजलाई
13	बिछडी

क.सं.	सल्लाडा बीएमसी दुग्ध मार्ग
1	ढाकरडा
2	नावडा
3	बाणाकला
4	हमीरगढ
5	सल्लाडा
6	बेहुती
7	वेजपूर
8	झाडोल
9	प्रतापपुरा
10	श्यामपुरा
11	श्यामपुरा –बी
12	धावडिया

क.सं.	कुण बलीचा बीएमसी दुग्ध मार्ग
1	ईडाणा
2	कोटा
3	धावडी
4	मानपुरियों का गुडा
5	छापरिया
6	बलीचा
7	नीमडी कानोड
8	सांरगपुरा

क.सं.	सराडा बीएमसी दुग्ध मार्ग
1	डिंगरी
2	कातनवाडा
3	बण्डोली
4	केजड
5	नीमच
6	सेपुर
7	नया सराडा
8	हिमावतों की भागल
9	श्यामपुरा सेमारी
10	करावाडा

क.सं.	बडावली बीएमसी दुग्ध मार्ग
1	भैरवा
2	सिपुर
3	गोपालपुरा
4	रूआब
5	रूआब–बी
6	डंगार
7	जेमलपुरा
8	खेरूआ
9	बडावली
10	टाण्डा बडावली
11	ढाणी
12	थडा
13	थरोडा
14	बडगांव

क.सं.	मावली बीएमसी दुग्ध मार्ग
1	घासा
2	नान्दवेल
3	सालेराकलां
4	तलाई मामादेव
5	खेमपुर
6	सालेराखुर्द
7	कुंचौली
8	साकरोदा
9	फौजाबा का कुंआ
10	फतहपुरा
11	लदाना
12	लदानी
13	डांगीखेडा
14	चंगेडी

UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .

GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002

GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B

Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

Annexure 1: Compliance with the code of Integrity and No. Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

a. not offer any bribe, reward or gift of any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
b. not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
c. not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
d. not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
e. not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to and party or to its property to influence the procurement process;
f. not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
g. disclose conflict of interest, if any; and
h. disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is, considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process, participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same Subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any. of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid: or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Signature of Bidder

UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .
GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002
GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B
Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

Annexure 2 : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my / our Bid submitted to Managing Director , Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited , Goverdhan Vilas , Udaipur (Rajasthan) for procurement of ………………… ……….in response to their Notice Inviting bid No……………..Dated ……….. I /we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012, that:

l. I/we Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any Local Authority as specified in the Bidding Document.

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities Suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the, commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

Date: Signature of Bidder
Place: Name:
Designation:
Address:

UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .
GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002

GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B

Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

Annexure 3 : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Chairman , Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited , Goverdhan Vilas, Udaipur (Rajasthan).
The designation and address of the Second Appellate Authority is Managing Director , Rajasthan Co-Operative Dairy Federation Ltd , Saras Sankul, J.L.N. Marg , Jaipur (Rajasthan) .

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable,

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (l) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (l) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement.
(b) provisions limiting participation of bidders in the Bid process.
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations.
(d) cancellation of a procurement process.
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

Signature of Bidder

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (l) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal .

(a) Fee for first appeal shall be rupees Two Thousand Five Hundred and for Second Appeal shall be rupees Ten Thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank Demand Draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank in lndia payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, Up on filing of' appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
(i) hear all the parties to appeal present before him; and
(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter,
(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost,
(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of Bidder

UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .
GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002

GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B

Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

FORM No. l
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No................................of…………..................

Before the…………….................... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved.

4. If the Appellant proposes to he represented by a representative, the name and postal address of the representative.
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal ……………………………………………………………
   …….. …………………..(Supported by an Affidavit)

7.Prayer:……
………..

Place …………………………………….
Date……………………………………..   Appellant's Signature

UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .
GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002
GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B
Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

Annexure 4 : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis

i if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

ii if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be Disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract. the quantity of Goods, Works or Services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

Signature of Bidder

(iii) In case of procurement of Goods or Services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order- However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original Contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder. whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second Lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of Bidder

UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LIMITED
GOVERDHAN VILAS, AHMEDABAD ROAD, UDAIPUR

Annex-5

DECLARATION/ UNDERTAKING

Tender Work : E-Tender for Milk Transportation from BMC Installed by Udaipur Dairy at DCS to Dairy Plant Udaipur.

(Tender Notice No. : 3501 Dated 03.02.2026)

Name of Tenderer : ....

I/ We hereby declare

- that my/our Tender rates for the above stated work shall remain valid for a period of 3 (three) months from the date of opening. In case of our revoking or cancelling the Tender within the validity period, UDUSS Ltd, Udaipur is entitled to forfeit the Earnest Money Deposit paid by us along with the Tender.
- that my firm is not black listed by any organization.
- No criminal case is pending against me/my firm.
- I do not have any blood relation with UDUSS Employee's (dairy employees/ official's /BOD's member)

Signature of Tenderer

Annexure - 6

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 , उदयपुर

गोवर्धन विलास अहमदाबाद रोड़ , उदयपुर (राज0)

वाहन सम्बन्धित सूचना :–

क्र.स.	टेंकर की पंजीयन संख्या	व्यक्ति का नाम जिसके नाम पर टेंकर पंजीकृत हैं।	पंजीयन अनुसार भरे टेंकर की भार क्षमता	पंजीयन अनुसार खाली टेंकर की भार क्षमता	पंजीयन अनुसार टेंकर की बेरल क्षमता	वाहन मॉडल
1						

नोट :– वाहन मॉडल जनवरी 2021 से पुराना नही होना चाहिये।

मैं यह सत्य निष्ठापूर्वक यह घोषणा करता हूॅ कि उपरोक्त प्रस्तुत सुचनाऐं एवं दस्तावेज मेरे ध्यान के अनुसार सत्य सही एवं पूर्ण हैं। इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटी होने पर निविदा निरस्त होने के लिये में स्वंय जिम्मेदार रहूंगा। संघ द्वारा मेरी निविदा बिना कारण बताये निरस्त किये जाने अथवा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नही हैं तथा मेने निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LIMITED
GOVERDHAN VILAS, AHMEDABAD ROAD, UDAIPUR

Detail About Tender Work

Tender Work : -Tender for Milk Transportation from BMC Installed by Udaipur Dairy at DCS to Dairy Plant Udaipur.

(Tender Notice No. : 3501 Dated 03.02.2026)

Milk Transportation from BMC Installed by Udaipur Dairy at DCS to Dairy Plant Udaipur.

Route	Tender Cost (Approx)	Proposed Milk Transportation Qty	No of (Approx)	Approx. km	Insulated Vehicle		Required Cash Security + Bank Gaurantee Rs in lac	Total Security Amount (Rs)
	(Rs In Lac)	(In KG)	Outlets	(To & Fro)	Capacity (In KG)	Model Year		
Milk Transportation from BMC Installed by Udaipur Dairy at DCS to Dairy Plant Udaipur.	13.00 Each Tanker	9000	14	200	9000	2021	2.0+5.0 Lacs	7.0 Lacs

Signature of Tenderer

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 , उदयपुर

गोवर्धन विलास अहमदाबाद रोड़ , उदयपुर (राज0)

फोन न0 – 2640258, 2640188, 2640179, फैक्स – 2640333

(यह फॉर्मेट संदर्भ हेतु है एवं प्रेषित दरे ऑनलाईन BOQ में भरे)

वित्तीय निविदा प्रपत्र

भाग – "ब"

नाम निविदादाता ....

पता ....

....

टेलीफोन न. / मो.न. ....

1. निविदा सन्दर्भ : 25 / 2025–26
2 निविदा विषय : ताप–प्रतिरोधक (इन्सुलेटेड) वाहन (टेंकर) द्वारा दुग्ध परिवहन मार्गो पर स्थित बीएमसी दुग्ध समितियो सें उदयपुर डेयरी संयत्र तक प्रतिदिन दूध परिवहन के अनुबंध कार्य की आपूर्ति हेतू।

निविदा अवधि – एक वर्ष

प्रेषित दर BOQ में अकिंत करे

क्र.स.	विवरण	दुग्ध परिवहन क्षमता	निविदादाता द्वारा प्रेषित दर रू. (दर प्रति किमी प्रति 9000 किलो दुग्ध परिवहन क्षमता के आधार पर)
1	दुग्ध संघ द्वारा स्थापित बीएमसी सें डेयरी संयंत्र, दुग्ध संघ उदयपुर तक इन्सूलेटेड टेंकर से दुग्ध परिवहन	**9000 क्रि.ग्रा.**	रूपये .... प्रति. कि0मी0 अक्षरे .... प्रति. कि0मी0

नोट : 1. उपलब्ध कराया जाने वाला वाहन (टेंकर) पूर्ण रूप सें इन्सूलेटेड होना आवश्यक होगा ताकि दुग्ध परिवहन के दौरान 1^0C से अधिक तापमान का अतंर नही आवें।
2 9000 क्रि.ग्रा. सें अधिक दुग्ध लाने पर प्रोरेटा दर से भुगतान देय होगा।

दिनांक :

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर